15/8/21 पत्रावली पेश हुई। चूंकि पत्रावली का मुलवाद धारा 188 का पूर्व पेशी दिनांक 4/1/21 को खारिज होकर फैसल हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज की जाकर फैसल शुमार हो। पत्रावली डाखिल दफ्तर हो।